राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3198/2023

मेरी पामर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (पी.एच.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, तिलक मार्ग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बूंदी।
4. चिकित्सा अधिकारी एवं कार्य प्रभारी, सीएचसी इन्द्रगढ़, जिला बूंदी।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.11.2023
आदेश की दिनांक : 22.04.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री नितेश कुमार गर्ग, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को सीएचसी इंद्रगढ़, बूंदी में कार्यग्रहण करने की अनुमति दी जावे और वेतन आदि समस्त लाभ प्रदान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी नर्स ग्रेड द्वितीय के पद पर है और उसे सीएचसी इंद्रगढ़ में कार्यग्रहण नहीं करने दिया जा रहा है।

उनका कथन है कि अपीलार्थी का स्वास्थ्य खराब होने से दिनांक 22.11.2022 को अपनी ऑनकॉल ड्यूटी समय 12 बजे दिन तथा दिनांक 22.11.2022 की रात ड्यूटी समय 8 बजे से सुबह तक ड्यूटी करने के बाद डॉ. गणेश लाल मीणा का स्वास्थ्य खराब होने के कारण दिनांक 23.11.2022 से 15 दिवस तक चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करवाकर अवकाश पर गई थी और जिसकी सूचना अपीलार्थी ने प्रभारी डॉ. दिनेश कुमार शर्मा से अनुमति भी ली गई। चिकित्सा अवकाश बढाने के लिए हर बार चिकित्सालय में सूचना विभाग के मेल पर दी गई और अपीलार्थी ने दिनांक 17.10.2023 को चिकित्सीय अवकाश उपरांत कार्यग्रहण करने सीएचसी इंद्रगढ पहुंची, परंतु राज्य में विधानसभा आम चुनाव के चलते आचार संहिता का कारण बताते हुये चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसे कार्यग्रहण करने से मना कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर/उप जिला निर्वाचन अधिकारी बूंदी से कार्यग्रहण करने हेतु अनुमति ली गई, जिसके संबंध में उक्त जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिनांक 26.10.2023 को सीएमएचओ बूंदी को पत्र लिखा गया, परंतु अपीलार्थी को कार्यग्रहण नहीं करने दिया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी द्वारा ली गई चिकित्सीय अवकाश पूर्ण रूप से अवैध और नियम विरूद्ध है। उनका कथन है कि अपीलार्थी के पति जो साइकियाट्रिक समस्या से पीडित है और उससे संबंधित बीमारी से पीडित है, जिसका निरंतर उपचार चल रहा है, जो अनुलग्नक–6 से प्रकट होता है। अपीलार्थी भी लिम्फ नोड्स इरेक्शन, हर्निया आदि बीमारी से पीडित है, जिसका भी उपचार चल रहा है, जो अनुलग्नक–7 से स्पष्ट होता है। अपीलार्थी ने कार्यग्रहण के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किये, परंतु उनका कोई निराकरण नहीं किया गया और उससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को सीएचसी इंद्रगढ़, बूंदी में कार्यग्रहण करने की अनुमति दी जावे और वेतन आदि समस्त लाभ प्रदान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी नर्स ग्रेड द्वितीय के पद पर दिनांक 24.02.2020 से सीएचसी इंद्रगढ़ में पदस्थापित थी और विभाग के आदेश दिनांक 21.11.2022 के द्वारा अपीलार्थी का इंद्रगढ से जेएलएन मेडिकल कॉलेज, अजमेर स्थानान्तरण किया गया और दिनांक 22.11.2022 द्वारा कार्यमुक्त करते हुये सीएमएचओ बूंदी उपस्थिति देने हेतु आदेशित किया गया। अपीलार्थी बिना किसी सूचना के लम्बे समय से अनुपस्थित चल रही थी। चिकित्सा अधिकारी प्रभारी

सीएचसी के पत्र दिनांक 25.10.2023 द्वारा अवगत कराया गया कि अपीलार्थी दिनांक 22.11.2022 से निरंतर अनुपस्थित चल रही है और जिसकी सूचना निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवायी गई। दिनांक 22.11.2022 से निरंतर अवकाश पर होने के कारण अपीलार्थी की उपस्थिति स्वीकार करना चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सीएचसी इंद्रगढ के अधिकार क्षेत्र में नहीं है अपीलार्थी को फिट दिनांक 20.10.2023 को किया गया है संदिग्ध प्रतीत होता है और राज्य सरकार के नियमानुसार 15 दिवस का चिकित्सा प्रमाण पत्र चिकित्सा अधिकारी, 30 दिवस का कनिष्ठ विशेषज्ञ, 45 दिवस का वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी और 45 दिवस से ऊपर मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र वैध है और अपीलार्थी द्वारा अलग–अलग समय पर अलग–अलग चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र है, जिसमें लम्बे समय तक चिकित्सीय अवकाश पर रहने उपरांत मेडिकल बोर्ड का कोई प्रमाण पत्र नहीं है, जो नियम विरूद्ध है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष निराधार है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि अपीलार्थी 58 वर्ष की वृद्ध कार्मिक है और जो अक्सर गंभीर बीमारियों से पीडित है, जिसका निरंतर उपचार चल रहा है। अपीलार्थी के पति भी बीमारियों से पीडित है, जिनका भी निरंतर उपचार चल रहा है। परिवार में अपीलार्थी ही एकमात्र रोजी रोटी कमाने वाली महिला है। अपीलार्थी द्वारा उच्च अधिकारी से चिकित्सीय अवकाश लिया है और समय–समय पर उक्त अवकाश की अवधि को बढ़ाने की सूचना दी गई। उसके द्वारा किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया। प्रत्यर्थी विभाग का यह कथन गलत है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण होने के आधार पर आदेश दिनांक 21.12.2022 के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। जबकि अपीलार्थी ने दिनांक 22.11.2022 को रात को ड्यूटी की और दिनांक 23.11.2022 को सुबह 8 बजे तक ड्यूटी की है, जिसका इंद्राज डेलीवरी रजिस्टर में हो रहा है, जो अनुलग्नक–8 से स्पष्ट होता है और इस प्रकार अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी नर्स ग्रेड द्वितीय के पद पर है और उसे सीएचसी इंद्रगढ़ में कार्यग्रहण नहीं करने दिया जा रहा है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का स्वास्थ्य खराब होने

से दिनांक 22.11.2022 को अपनी ऑनकॉल ड्यूटी समय 12 बजे दिन तथा दिनांक 22.11.2022 की रात ड्यूटी समय 8 बजे से सुबह तक ड्यूटी करने के बाद डॉ. गणेश लाल मीणा का स्वास्थ्य खराब होने के कारण दिनांक 23.11.2022 से 15 दिवस तक चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करवाकर अवकाश पर गई थी और जिसकी सूचना अपीलार्थी ने प्रभारी डॉ. दिनेश कुमार शर्मा से अनुमति भी ली गई। चिकित्सा अवकाश बढाने के लिए हर बार चिकित्सालय में सूचना विभाग के मेल पर दी गई और अपीलार्थी ने दिनांक 17.10.2023 को चिकित्सीय अवकाश उपरांत कार्यग्रहण करने सीएचसी इंद्रगढ पहुंची, परंतु राज्य में विधानसभा आम चुनाव के चलते आचार संहिता का कारण बताते हुये चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसे कार्यग्रहण करने से मना कर दिया गया। जहां तक अपीलार्थी को विभाग द्वारा कार्यग्रहण नहीं कराये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण होने पश्चात् दिनांक 22.11.2022 को कार्यमुक्त करते हुये सीएमएचओ बूंदी में उपस्थिति देने हेतु आदेशित किया गया और अपीलार्थी द्वारा उक्त स्थान पर उपस्थिति देने से मना किया गया क्योंकि अनुलग्नक–8 डेलीवरी रजिस्टर के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने 22 तारीख को सीएचसी इंद्रगढ़ में सेवायें दी और दिनांक 23.11.2022 को सुबह 8 बजे तक सेवायें पूरी की। तदुपरांत अपीलार्थी चिकित्सीय अवकाश पर गयी और अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत चिकित्सीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये जिसमें दिनांक 23.11.2022 से 07.12.2022 तक के लिये चिकित्सीय प्रमाण पत्र चिकित्सा अधिकारी इंद्रगढ द्वारा जारी किया गया है, को प्रस्तुत किया गया है और आगे भी समय–समय पर चिकित्सीय अवकाश की अवधि बढाने के संबंध में अपीलार्थी द्वारा समय–समय पर उसके पत्र द्वारा कार्यालय को सूचना भेजी गई, जो अनुलग्नक–4 से प्रकट होता है और चिकित्सीय अवकाश के संबंध में जारी किये गये चिकित्सीय प्रमाण पत्र भी पत्रावली पर प्रस्तुत किये गये हैं। चिकित्सीय अवकाश उपरांत अपीलार्थी द्वारा कार्यग्रहण करने के संबंध में दिनांक 17.10.2023 को चिकित्सा अधिकारी प्रभारी इंद्रगढ़ को पत्र दिया गया, परंतु अपीलार्थी को आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुये कार्यग्रहण नहीं करने दिया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बूंदी को दिनांक 25.10.2023 को पत्र लिखा और उक्त पत्र के संदर्भ में कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, बूंदी द्वारा सीएमएचओ, बूंदी को कार्यग्रहण करवाने के संबंध में पत्र लिखा गया, जो अनुलग्नक–3 से प्रकट होता है और तत्पश्चात् अपीलार्थी द्वारा निदेशक को पत्र लिखा गया, परंतु अपीलार्थी को कार्यग्रहण करवाने के संबंध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलार्थी के लम्बे समय से अनुपस्थित रहने के संबंध

में विभाग द्वारा न तो कोई कारण बताओ नोटिस दिया गया और न ही कोई अग्रिम कार्यवाही किये जाने का पत्रावली पर प्रमाण प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी के विरूद्ध कोई दोष सिद्ध हुये बिना उसे कार्यग्रहण नहीं करवाया जाना सेवा नियमों के विपरीत है। अपीलार्थी द्वारा कार्यालय में कार्यग्रहण करने के संबंध में अनेको बार अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के बावजूद भी अपीलार्थी को कार्यग्रहण नहीं करने दिया गया, जो विधि एवं राजस्थान सेवा नियमों के विरूद्ध है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को कार्यग्रहण करवाया जावे और यदि चिकित्सीय प्रमाण पत्र/चिकित्सीय अवकाश में यदि कोई नियम विरूद्धता प्रकट होती है तो 15 दिवस में मेडिकल बोर्ड गठित कर चिकित्सीय प्रमाण पत्रों/चिकित्सीय अवकाशों का सक्षम स्तर पर उचित रूप से निरीक्षण कराया जावे और जो भी अवकाश जैसे आकस्मिक/उपार्जित/चिकित्सीय आदि हैं, उनको नियमानुसार स्वीकृत करते हुये अपीलार्थी को समस्त वेतन लाभ आदि प्रदान किये जावें। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से एक माह में सुनिश्चित की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य